

१८६

पुलिस आदेश सं 255/195

विषय: बिहार भैन्य पुलिस-16 में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहताओं के संबंध में।

बिहार भैन्य पुलिस-16 भूतपूर्व सेनिकों को वाडिनो है जिसका गठन 190 में किया गया था। समय समय पर निर्गत सरकारों और चिमांगोम आदेशों तथा तीनों के दुर्वात महानिदेशालय, नई दिल्ली के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों को इधर में रखते हुए इस वाडिनो में सामान्य आरक्षों को कौटि में नियुक्ति हेतु निम्नलिखित न्यूनतम पोर्यताओं का निर्धारण किया जाता है:-

11. उम्मीदवार भूतपूर्व सेनिक को नियारित और सामान्य परिभाषा के अन्तर्गत होना वाडिस।

12. अधिकतम आयु सीमा- 37 सेंतिस। वर्ष।

13. सास्त्र लेना में पूर्व सेवा को न्यूनतम अवधि 5 पौंछ। वर्ष।

14. सास्त्र लेना से डिस्चार्ज हुए 5 पौंछ। वर्ष से अधिक नहीं होना वाडिस।

15. सास्त्र लेना से डिस्चार्ज के समय मेडिकल कैटेगरी उच्चतम् यानि स। A.B.C. होना वाडिस।

16. लेना से डिस्चार्ज के समय वरित्र का श्रेणीकरण उच्चतम् यानि "अनुकरणीय" Exemplary होना वाडिस।

17. उम्मीदवार यथासंभव योद्धा Combatant। श्रेणी का होना वाडिस जिसने लेना में रखते हुए सक्रिय सास्त्र डियूटी निभाई हो। आमतौर पर उम्मीदवार सफ्टार्ड कौर, मेडिकल कौर, सिग्नल कौर, अभियंत्रा गाहा, धीबो, सौचो, मिस्ट्री, राजमिस्ट्री आदि श्रेणी का नहीं होना वाडिस।

18. गारोरिक योग्यता और योग्यता तथा अन्य परोक्षण। 19. दौड़, झंगी झूट, लम्बो झूट, गोला फेंकना आदि तथा डाक्टरो परोक्षण। के लिए वह तभी न्यूनतम आहताएँ लागू होंगी जो अन्य सामान्य वाडिनियों के लिए लागू हैं।

\* 19. नियुक्ति को पुक्रिया सामान्यतः वहो होंगो जो अन्य वाडिनियों में लागू है। नियुक्ति एक वयस पर्वद द्वारा को जायगो जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

।क। समाटेष्टा, बिमै०पु०-16।

।ख। अन्य वाडिनियों के 2 समाटेष्टा जिनका नामकरण आरक्षी महानिरोधक, सास्त्र बल, बिहार, के द्वारा किया जायगा।

गंगा निदेशक, राज्य निक्षिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना का निवासी बैंडल मैन्टर, दानापुर के फोइ वरोप पदाधिकारी। कम से कम भेजर कोटि के नामांकन को 03 अरब 00, दानापुर के ग्रामीण खिलेडियर के द्वारा किया जायगा। परोपत्तन तादेश्टा वस्त्र पर्सेन के अधिकार होगे।

गंगा  
28/3/95

गंगा प्रसाद दोहरे।

महानिदेशक सर्व आरक्षो महानिरोक्षक, बिहार, पटना

शासक 15/13  
17-1-6/92 महानिदेशक सर्व आरक्षो महानिरोक्षक का कार्यालय  
पटना, दिनांक 28 जुलाई, 1995.

प्रतिलिपि: आरक्षो उप-महानिरोक्षक, उ 03, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ।

2. आरक्षो उप-महानिरोक्षक, मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

3. समादेश्टा, बिहार 040-16, कैम्प-नौसा को सूचनार्थ सर्व आवायक कियार्थ।

गंगा

महानिदेशक सर्व आरक्षो महानिरोक्षक, बिहार, पटना

देखन्त 27795:

30 31  
2 3  
9 10  
16 17  
23 24  
25

2  
9  
16  
23  
30  
3